अध्याय 1
सीमाशुल्क राजस्व

I विहंगावलोकन

यह अध्याय सीमाशुल्क प्राप्तियों, आयातो तथा निर्यातो एवं निर्यात संवर्धन योजनाओं के परिणामस्वरूप छोड़े गए शुल्क की प्रकृति एवं वृद्धि के रूझान को दर्शाता है। इस अध्याय में मंत्रालयों के संगठनात्मक ढ़ांचो और कार्यों जिसमें उनके आन्तरिक नियंत्रण तंत्र तथा आंतरिक लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल है, का भी विवरण किया गया है। इस अध्याय में दी गई जानकारी मुख्यत: 2015-16 तथा 2016-17 के संघ वित्त लेखे की सांख्यिकीय, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी) द्वारा उपलब्ध कराई गई सांख्यिकीय सूचना, महानिदेशक विदेश व्यापार (डीजीएफटी), वाणिज्यिक विभाग तथा सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध डाटा पर आधारित है।

1.1 संघ सरकार के संसाधन

भारत सरकार के कर तथा गैर कर स्रोतों में केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, खजाना बिलों द्वारा उठाए गए सभी ऋण, आन्तरिक एवं बाह्य ऋण एवं ऋण के पुन: भुगतान में सरकार द्वारा प्राप्त सारा धन सम्मिलित है। केन्द्र सरकार के कर राजस्व स्रोतों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से राजस्व प्राप्तियां सम्मिलित हैं। नीचे दी गई **तालिका 1.1** वित्तीय वर्ष (वि.व) 17 तथा वि.व. 16 के लिए केन्द्र सरकार की प्राप्तियों का सार प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.1: संघ सरकार के स्रोत

₹ करोड़

	2016-17	**2015-16**
क. कुल राजस्व प्राप्तियां	22,23,988	19,42,353
i. प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां	*8,49,801*	*7,42,012*
ii. अन्य कर सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां[1]	*8,66,167*	*7,13,879*
iii. गैर-कर प्राप्तियाँ	*5,06,721*	*4,84,581*
iv. सहायता अनुदान और अंशदान	*1,299*	*1,881*

[1] सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवाकर आदि के जैसी सेवाओं और वस्तुओं पर उद्ग्रहीत अप्रत्यक्ष कर;

ख. विविध पूँजीगत प्राप्तियां[2]	47,743	42,132
ग. ऋण एवं अग्रिम की वसूली[3]	40,971	41,878
घ. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां[4]	61,34,137	43,16,950
भारत सरकार की प्राप्तियां (क+ख+ग+घ)	**84,46,839**	**63,43,313**

टिप्पणी: कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से प्रदत्त प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों की कुल प्राप्ति का भाग वि.व. 16 में ₹ 5,06,193 करोड़ तथा वि.व. 17 में ₹ 6,08,000 करोड़ है।

स्रोत: 2015-16 तथा 2016-17 वर्षों के संघीय वित्त लेखे
2016-17 के आंकड़े अन्तिम है

संघ सरकार की कुल प्राप्तियाँ वि.व. 16 में ₹ 63,43,313 करोड़ से बढ़कर वि.व. 17 में ₹ 84,46,839 करोड़ हो गई। वि.व. 17 में, इसकी अपनी प्राप्तियाँ ₹ 17,15,968 करोड़ की सकल कर प्राप्तियों सहित ₹ 22,23,988 करोड़ थी जिसमें अप्रत्यक्ष कर का योगदान ₹ 8,66,167 करोड़ था।

1.2 अप्रत्यक्ष करों की प्रकृति

अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं की आपूर्ति/सेवाओं की लागत पर वसूला जाता है और इन्हें व्यक्ति की बजाए लेन-देन पर लगाया जाता है। संसद की अधिनियमों के अंतर्गत उद्ग्रहीत मुख्य अप्रत्यक्ष कर/शुल्क सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर हैं। यह प्रतिवेदन सीमाशुल्क से संबंधित है।

1.3 अप्रत्यक्ष कर में वृद्धि की प्रवृत्तियाँ

वि.व. 13 से वि.व. 17 के दौरान अप्रत्यक्ष करों की सापेक्षिक वृद्धि नीचे **तालिका 1.2** में दी गई है। जीडीपी[5] से अप्रत्यक्ष करों की प्रतिशतता शेयर पिछले पांच वर्षों के दौरान 4.4 से 5.7 प्रतिशत के बीच थी।

[2] इसमें बोनस शेयर, सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों का विनिवेश तथा अन्य प्राप्तियों का मूल्य निहित है;

[3] संघ सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम की वसूली;

[4] भारत सरकार द्वारा आंतरिक के साथ-साथ बाहरी उधारियाँ;

[5] स्रोत: संबंधित वर्षों के संघीय वित्त लेखे, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जून 2016 में प्रदान किए गए जीडीपी के आँकड़े।

तालिका 1.2: अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि

₹ करोड़

वर्ष	सकल अप्रत्यक्ष कर	जीडीपी	जीडीपी की % के रूप में अप्रत्यक्ष कर	सकल कर राजस्व	सकल कर राजस्व की % के रूप में अप्रत्यक्ष कर
वि.व.13	4,74,728	99,88,540	4.75	10,36,460	45.80
वि.व.14	4,97,349	1,13,45,056	4.38	11,38,996	43.67
वि.व.15	5,46,214	1,25,41,208	4.36	12,45,135	43.87
वि.व.16	7,10,101	1,35,76,078	5.23	14,55,891	48.77
वि.व.17	8,62,151	1,51,83,709	5.68	17,15,968	50.24

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे, वि.व. 17 के आंकड़े अनन्तिम है

सकल कर राजस्व में अप्रत्यक्ष करों का शेयर वि.व. 16 की तुलना में वि.व. 17 में बढ़ गया।

II संगठनात्मक ढांचा तथा कार्य

1.4 सीमाशुल्क तथा विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) की नियंत्रक महालेखापरीक्षा की लेखापरीक्षा में प्रमुख रूप से वित्त मंत्रालय (एमओएफ) तथा वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय (एमओसीआई) सम्मिलित है। दोनों मंत्रालयों का संगठनात्मक ढांचा तथा कार्यों को संक्षिप्त रूप से नीचे वर्णित किया गया है।

वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग (डीओआर) सचिव (राजस्व) के सम्पूर्ण नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करता है और केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अंतर्गत गठित दो सांविधिक बोर्ड यथा; केंद्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी) तथा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष केंद्रीय करों से संबंधित सभी मामलों का समंवय करता है। सीमाशुल्क की उगाही एवं संग्रहण से जुड़े मामलों की देखरेख सीबीईसी द्वारा की जाती है।

2016-17 के दौरान, सम्पूर्ण भारत के 29 जोनो में 103 सीमाशुल्क आयुक्तालय थे जिनमें से 33 आयुक्तालय सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अब जीएसटी आयुक्तालय जुड़े हुए थे।

सीबीईसी तथा सीमाशुल्क क्षेत्रीय संरचनाओं की कुल संस्वीकृत स्टॉफ संख्या 86,812[6] (1 जनवरी 2017 तक) थी। सीबीईसी का संगठनात्मक ढ़ांचा **अनुबंध 1** में दर्शाया गया है।

वाणिज्यि एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत वाणिज्य विभाग (डीओसी) महानिदेशक, विदेश व्यापार (डीजीएफटी) के माध्यम से एफटीपी बनाता है, उसे लागू करता है तथा उसकी निगरानी करता है जो निर्यात एवं व्यापार प्रोत्साहन हेतु अपनायी जाने वाली नीति एवं रणनीति को आधारभूत ढाँचा प्रदान करती है। व्यापार नीति की घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, दोनों में उभरते आर्थिक परिदृश्यों पर ध्यान रखने के लिए आवश्यक परिवर्तन करने की आवधिक समीक्षा की जाती है। इसके अलावा, विभाग को बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंधों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज) राज्य व्यापार, निर्यात प्रोत्साहन एवं व्यापार सुविधा, और विकास तथा कुछ निर्यातोन्मुख उद्योगों एवं प्रतिभूतियों के समंजन जुड़ी जिम्मेदारियाँ भी सौंपी गई है।

विदेश व्यापार नीति को क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकरणों (आरएलए) के माध्यम से लागू किया जाता है जो आयातक निर्यातक कोड (आईईसी)[7] प्रदान करने तथा निर्यात संवर्धन की विभिन्न योजनाओं के तहत लाइसेंस देने के लिए उत्तरदायी होता है। 2016-17 के दौरान सम्पूर्ण भारत में 37 आरएलए थे।

1.5 सीमाशुल्क का कर आधार

सीमाशुल्क राजस्व आधार में डीजीएफटी द्वारा आईईसी जारी किए गए आयातक एवं निर्यातक शामिल हैं। मार्च 2016[8] तक 724434 सक्रिय आईईसीज़ हैं। 2016-17 के दौरान ₹ 18.52 लाख करोड़ का निर्यात (69,83,970 लेन-देन) तथा ₹ 25.77 लाख करोड़ मूल्य का आयात (42,32,309 लेन-देन) किया गया। वि.व. 17 के दौरान टैरिफ रियायत प्रदान करने वाले चौंतीस करार[9] सक्रिय थे।

[6] 01 जनवरी 2016 को एचआरडी महानिदेशालय (सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर) द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

[7] डीजीएफटी दिल्ली द्वारा सभी आयातक/निर्यातक को आईईसी जारी किया जाता है।

[8] स्रोत: डीजीएफटी, उद्योग भवन, नई दिल्ली

[9] http://commerce.nic.in/trade/international

सीमाशुल्क प्राप्तियों (₹ 2,25,370 करोड़) के साथ-साथ छोड़ा गया राजस्व (₹ 3,87,539 करोड़) मिलकर कर आधार बनता है।

III सीमाशुल्क प्राप्तियों तथा छोड़े गए राजस्व का विश्लेषण

1.6 वि.व. 13 से वि.व. 17 के दौरान भारत का आयात एवं निर्यात तथा सीमाशुल्क प्राप्तियाँ

वि.व. 17 के दौरान निर्यात मूल्य के संदर्भ में पिछले दो वर्षों (वि.व. 15 तथा वि.व. 16) के दौरान ऋणात्मक वृद्धि प्रतिशत की तुलना में सकारात्मक वृद्धि दर्शाई गई है। वि.व. 17 में निर्यात आय का मूल्य वि.व. 16 से ₹ 1,35,962 करोड़ (7.92 प्रतिशत) तक बढ़ा था।

वि.व. 17 के दौरान आयात मूल्य के संदर्भ में 4 प्रतिशत बढ़ा जोकि मुख्य रूप से अनाज, मांस तथा मील ऑफल, कॉटन, जिंक तथा उनकी वस्तुओं तथा अन्य आधारभूत धातुओं के आयात के कारण था।

तालिका 1.3: भारत के आयात तथा निर्यात

₹ करोड़

वर्ष	आयात	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर	सीमा शुल्क प्राप्तियां	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर	आयातों में प्रतिशतता के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां	निर्यात	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर	व्यापार असंतुलन	आयातों के प्रतिशत के रूप में व्यापार असंतुलन
वि.व.13	26,69,162	14	1,65,346	11	6.2	16,34,319	11	-10,34,843	38
वि.व.14	27,15,434	2	1,72,085	4	6.3	19,05,011	17	-8,10,423	30
वि.व.15	27,37,087	0.80	1,88,016	9	6.9	18,96,348	(-)0.45	-8,40,739	31
वि.व.16	24,90,298	(-)9.02	2,10,338	12	8.4	17,16,378	(-)9.49	-7,73,920	31
वि.व.17	25,77,422	3.50	2,25,370	7	8.7	18,52,340	7.92	-7,25,082	28

स्रोत: एक्जिम डाटा, वाणज्यिक विभाग, संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।
वि.व. 17 के आंकड़े अनन्तिम है

कुल आयात के प्रतिशत में सीमा शुल्क प्राप्तियां वि.व. 16 के 8.4 प्रतिशत की तुलना में वि.व. 17 में 8.7 प्रतिशत थी।

आयातो के प्रतिशत के रूप में व्यापार असंतुलन वि.व 13 में 38 प्रतिशत से वि.व. 17 में 28 प्रतिशत तक नीचे गिरा।

1.7 विशेष आर्थिक जोन से निर्यातो का निष्पादन

सेज अधिनियम 2005 के तहत, सेज की स्थापना के लिए दिए गए 424 अनुमोदन थे जिनमें से 7 सितम्बर 2017 तक 354 को अधिसूचित किया था तथा 222 परिचालनात्मक है **(अनुबंध 2)**। 30 जून 2017 तक 4643 यूनिटें अनुमोदित है। कुल ₹ 4.33 लाख करोड़ का निवेश किया गया है जिसके परिणामस्वरूप 17.79 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार का सृजन हुआ।

2016-17 में सेज से निर्यात ने 2015-16 की तुलना में ₹ 5.24 लाख करोड़ के निर्यात के साथ 12 प्रतिशत वृद्धि दर्शाई है।

तालिका 1.4: वि.व. 13 से वि.व. 17 में सेज का निष्पादन

वर्ष	निर्यात ₹ करोड़ में	पिछले वर्ष में वृद्धि प्रतिशत
2012-13	4,76,159	31 %
2013-14	4,94,077	4%
2014-15	4,63,770	(-) 6%
2015-16	4,67,337	0.77 %
2016-17	5,23,637	12 %

स्रोत: www.sezindia.nic.in

1.8 जीडीपी, सकल कर राजस्व तथा अप्रत्यक्ष करों की तुलना में सीमा शुल्क प्राप्तियों में वृद्धि

वि.व.13 से वि.व. 17 के दौरान जीडीपी तथा अप्रत्यक्ष करों की तुलना में सीमा शुल्क प्राप्तियों की वृद्धि प्रवृति **तालिका 1.5** में दी गई है।

तालिका 1.5: सीमा शुल्क प्राप्तियों में वृद्धि

₹ करोड़

वर्ष	सीमा शुल्क प्राप्तियां	जीडीपी	जीडीपी की % के रूप में सीमाशुल्क प्राप्तियां	सकल कर राजस्व	सकल कर की % के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां	सकल अप्रत्यक्ष कर	अप्रत्यक्ष करों के % के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां
वि.व.13	1,65,346	99,88,540	1.66	10,36,460	15.95	4,74,728	34.83
वि.व.14	1,72,085	1,13,45,056	1.52	11,38,996	15.10	4,97,349	34.59
वि.व.15	1,88,016	1,25,41,208	1.50	12,45,135	15.10	5,46,214	34.42
वि.व.16	2,10,338	1,35,76,086	1.55	14,55,891	14.45	7,10,101	29.62
वि.व.17	2,25,370	1,51,83,709	1.48	17,15,968	13.13	8,62,151	26.14

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

जीडीपी, सकल कर राजस्व और सकल अप्रत्यक्ष करों के अनुपात के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियों में वि.व. 16 की तुलना में वि.व. 17 में कमी आई।

1.9 बजट तथा वास्तविक सीमा शुल्क प्राप्तियों में अंतर

वि.व. 13 से वि.व. 17 के दौरान बजट तथा संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक सीमा शुल्क प्राप्तियां निम्न **तालिका 1.6** में दी गई है।

तालिका 1.6: बजट तथा संशोधित अनुमान, वास्तविक प्राप्तियां

₹ करोड़

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	वास्तविक तथा बीई के बीच अंतर	वास्तविक तथा बीई के बीच अंतर का प्रतिशत	वास्तविक तथा आरई के बीच अंतर का प्रतिशत
वि.व.13	1,86,694	1,64,853	1,65,346	(-)21,348	(-)11.43	(+)0.30
वि.व.14	1,87,308	1,75,056	1,72,085	(-)15,275	(-)8.16	(-)1.73
वि.व.15	2,01,819	1,88,713	1,88,016	(-)13,803	(-)6.84	(-)0.37
वि.व.16	2,08,336	2,09,500	2,10,338	(+)2,002	(+)0.96	(+)0.40
वि.व.17	2,30,000	2,17,000	2,25,370	(-)4,630	(-)2.01	(+)3.85

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ बजट तथा वित्त लेखें, राजस्व विभाग।
वि.व. 17 के आंकड़े अनन्तिम है

वि.व. 17 दौरान बजट अनुमानों तथा वास्तविक संग्रहण के बीच अंतर की प्रतिशतता (-) 2.01 प्रतिशत थी। वास्तविक प्राप्तियों के लिए संशोधित अनुमानों में भी (+) 3.85 प्रतिशत तक अंतर था।

1.10 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत छोड़ा गया सीमाशुल्क राजस्व

केंद्र सरकार को सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(1) के अंतर्गत जनहित में अधिसूचना जारी करने के लिए शुल्क छूट की शक्तियों को प्रत्यायोजित कर दिया गया है ताकि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची के निर्धारित टैरिफ दरों से कम शुल्क दरें निर्धारित की जा सकें। अधिसूचना द्वारा निर्धारित की गई यें दरें "प्रभावी दरों" के रूप में जानी जाती है।

अत: छोड़े गए राजस्व को वित्त मंत्रालय द्वारा शुल्क, जो देय होगा, यदि नहीं होता तो छूट अधिसूचना जारी करने के लिए तथा संबंधित अधिसूचना के संदर्भ

में भुगतान किए गए वास्तविक शुल्क के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरे शब्दों में,

छोड़ा गया राजस्व= मूल्य X (शुल्क की टैरिफ दर– शुल्क की प्रभावी दर)

तालिका 1.7: सीमा शुल्क प्राप्तियां तथा छोड़ा गया कुल सीमा शुल्क राजस्व

₹ करोड़

वर्ष	सीमा शुल्क प्राप्तियों	योजनाओं सहित वस्तुओं पर छोड़ा गया राजस्व	प्रतिदाय	अदा की गई फिरती	छोड़ा गया राजस्व +प्रतिदाय+ फिरती	सीमाशुल्क प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में छोड़ा गया राजस्व
वि.व.13	1,65,346	2,98,094	3,031	17,355	3,18,480	193
वि.व.14	1,72,085	3,26,365	4,501	18,539	3,49,405	203
वि.व.15	1,88,016	4,65,618	5,051	27,276	4,97,945	265
वि.व.16	2,10,338	2,98,704	6,346	35,370	3,40,420	162
वि.व.17	2,25,370	3,47,179	6,963	33,397	3,87,539	172

स्रोत: संघ प्राप्ति बजट, डीजी प्रणाली एवं डाटा प्रबंधन, सीबीईसी, फिरती सैल, सीबीईसी, वि.व. 17 के आंकड़े अनन्तिम है

सीमाशुल्क प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में छोड़ा गया राजस्व वि.व. 17 में 172 प्रतिशत था **(तालिका 1.7)**। वस्तुओं पर छोड़े गए राजस्व और प्रतिदाय में वि.व. 16 की तुलना में वि.व.17 में वृद्धि का रूझान था। तथापि, वि.व. 16 से वि.व. 17 में फिरती में 6 प्रतिशत (₹ 1,973 करोड़) की कमी हुई है।

वि.व. 17 के दौरान छोड़े गए राजस्व का 63 प्रतिशत, प्राकृतिक या कृत्रिम मोतियों, कीमती धातु तथा उससे बनी वस्तुओं और साऊंड रिकार्डर/रीप्रोडयूसर, ओर पुर्जों/उनसे बनी वस्तुओं, एनिमल या वनस्पति वसा/तेल, मानव निर्मित फिलामेंट आदि पर था।

1.11 निर्यात संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत छोड़ा गया राजस्व

निर्यात संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत छोड़ा गया राजस्व वि.व. 16 के दौरान 39 प्रतिशत की तुलना मे वि.व. 17 के दौरान सीमा शुल्क प्राप्तियों का 41 प्रतिशत था। वि.व. 17 के दौरान शीर्ष पांच योजनाएं, जिन पर शुल्क छोड़ा गया था, एडवांस लाइसेंस योजना, इओयू/ईएचटी/एसटीपी, सेज, ईपीसीजी एमईआईएस तथा फोकस उत्पाद योजना थी।

एडवांस लाइसेंस योजना लाइसेंस जारी होने की तिथि से 36 माह के अंदर निर्धारित निर्यात दायित्व (इओ) को पूरा करने के लिए परिणामी उत्पादों के विनिर्माण में उपयोग किए गए कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयातों की अनुमति देती है।

विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज)/निर्यात संसाधन क्षेत्रों (इपीजेड)/निर्यात उन्मुख यूनिटों (इओयू) को माल तथा सेवाओं के निर्यात हेतु इनपुटों के नि:शुल्क आयातों की अनुमति दी गई है।

निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (इपीसीजी) योजना सीमाशुल्क की रियायती दर पर पूंजीगत माल के आयात की अनुमति देती है जो लाइसेंस जारी होने की तिथि से आठ वर्षों की अवधि में पूरा होने हेतु आयातित पूंजीगत माल पर बचाए गए शुल्क के आठ गुणा के बराबर इओ के विषयाधीन है।

भारत योजना से उत्पाद निर्यात (एमईआईएस), मुक्त विदेशी विनिमय में निर्यातों के पोत पर्यक्त निशुल्क (एफओबी) मूल्य पर अधिसूचित बाजारों में अधिसूचित माल/उत्पादों के निर्यात हेतु शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के रूप में प्रतिफल का प्रावधान करती है।

फोकस उत्पाद योजना (एफपीएस) विशिष्ट उत्पादों के निर्यात हेतु नि:शुल्क विदेशी विनिमय में संपादित निर्यातों के पोतपर्यत नि:शुल्क (एफओबी) मूल्य के 2/5 प्रतिशत के बराबर शुल्क क्रेडिट का प्रावधान करती है।

वि.व. 17 के दौरान कुल छोड़े गए राजस्व (₹ 91,336 करोड़) का 96 प्रतिशत (₹ 87,732 करोड़) इन छः प्रमुख योजनाओं के कारण था जिन्हें नीचे दर्शाया गया है।

तालिका 1.8: प्रमुख निर्यात संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत छोड़ा गया राजस्व

योजना	छोड़ी गई राशि (₹ करोड़)	(कुल छोड़े गए राजस्व की प्रतिशतता)	छोड़ी गई राशि (₹ करोड़)	(कुल छोड़े गए राजस्व की प्रतिशतता)
	वि.व.16		वि.व.17	
एडवांस लाइसेंस	25,633	31	29,356	32
इओयू/इएचटी/एसटीपी	14,849	18	18,497	20
एस.ई.जेड़	13,595	17	13,003	14
*भारत योजना से उत्पाद निर्यात (एमईआईएस)	0		12,826	14

योजना	छोड़ी गई राशि (₹ करोड़)	(कुल छोड़े गए राजस्व की प्रतिशतता)	छोड़ी गई राशि (₹ करोड़)	(कुल छोड़े गए राजस्व की प्रतिशतता)
	वि.व.16		वि.व.17	
ईपीसीजी	10,145	12	10,986	12
फोकस उत्पाद योजना (एफपीएस)	7,495	9	3,064	3
उप जोड़	71,717	88	87,732	96
अन्य**	10,065	12	3,604	4
कुल	81,782		91,336	
सीमाशुल्क प्राप्तियां	2,10,338		2,25,370	
सीमाशुल्क प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में छोड़ा गया राजस्व		39		41

स्रोत: महानिदेशालय, डाटा प्रबंधन, सीबीईसी, वित्त मंत्रालय

* भारत योजना से उत्पाद निर्यात योजना (एमईआईएस) ने विदेश व्यापार नीति 2015-20 में एफएमएस/एफपीएस तथा वीकेजीयूवाई योजनाओं को प्रतिस्थापित किया था।

**अन्य में डीईपीबी, डीएफआरसी, डीएफईसीसी योजनाएं, लक्ष्य प्लस योजना, विशेष कृषि तथा ग्राम उद्योग योजना (वीकेजीयूवाई), भारत योजना से सेवित (एसएफआईएस), डीएफआईए योजना, स्टेटस होल्डर इन्सेक्टिव स्क्रिप योजना (एसएचआईएस), फोकस बाजार योजना (एफएमएस) आदि शामिल है।.

वि.व. 17 के दौरान एडवांस लाइसेंस योजना के अंतर्गत छोड़ा गया राजस्व विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के मध्य उच्चतम था। वित्त वर्ष 17 में एडवांस लाइसेंस योजना, इओयू/इएचटी/एसटीपी तथा ईपीसीजी योजना के अंतर्गत छोड़े गए राजस्व में सेज तथा फोकस उत्पाद योजना को छोड़कर, वि.व 16 की तुलना में वृद्धि हुई थी।

1.12 वि.व. 13 से वि.व. 17 के लिए संग्रहण की लागत

संग्रहण की लागत सीमा शुल्कों के संग्रहण पर उठाई गई लागत है तथा इसमें आयात/निर्यात व्यापार नियंत्रण कार्यों, निवारक कार्यों, आरक्षित निधि/जमा खाता में हस्तांतरणों पर किए गए व्यय तथा अन्य व्यय शामिल है।

2016-17 के लिए सीमाशुल्क प्राप्तियों के संग्रहण की लागत सीमा शुल्क प्राप्तियों का 1.47 प्रतिशत थी। 2013-14 से 2016-17 की पांच वर्ष की वित्तीय अवधि के लिए सीमाशुल्क प्राप्तियों के संग्रहण की लागत नीचे दी गई है।

तालिका 1.9: वि.व. 13 से वि.व. 17 के दौरान संग्रहण की लागत

₹ करोड़

वर्ष	राजस्व सह आयात/निर्यात तथा व्यापार नियंत्रण कार्यों पर व्यय	निवारक एवं अन्य कार्यों पर व्यय	आरक्षित निधि, जमा खाता में हस्तांतरण तथा अन्य व्यय	कुल	सीमा शुल्क प्राप्तियां	सीमाशुल्क प्राप्तियों की प्रतिशता के रूप में संग्रहण की लागत
वि.व 13	315	1,653	10	1,979	1,65,346	1.20
वि.व 14	333	1,804	5	2,142	1,72,085	1.25
वि.व 15	382	2,094	20	2,496	1,88,016	1.33
वि.व 16	412	2,351	36	2,799	2,10,338	1.33
वि.व 17	544	2,771	7	3,322	2,25,370	1.47

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ सरकार के वित्त लेखे। वि.व 17 के आंकडे अनन्तिम हैं।

सीमा शुल्क प्राप्तियों की प्रतिशतता के संबंध में व्यक्त, संग्रहण की लागत 1.20 प्रतिशत (वि.व. 13) से 1.47 प्रतिशत (वि.व. 17) के बीच थी।

1.13 आंतरिक नियंत्रण एवं आंतरिक लेखापरीक्षा

1.13.1 जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस)

सीमा शुल्क निर्धारण प्रक्रियाओं का आयातों तथा निर्यातों की तीव्र प्रक्रिया द्वारा व्यापार को सरल बनाने तथा निर्धारणों में अनियमितताओं को न्यूनतम करने के लिए व्यापक रूप से कम्प्यूटरीकरण किया गया है। आरएमएस, एक इलेक्ट्रोनिक प्रणाली, पूर्व परिभाषित जोखिम पैरामीटरों, जो तब निर्धारण या जांच या दोनों के विषयाधीन थे, के आधार पर आयात घोषणाओं (माल) पर प्रतिबंध लगाती है।

आरएमएस की दक्षता, दर्शाए गए आऊटलायर्स की यथार्थता पर निर्भर करती है तथा सभी एयर कार्गो, बंदरगाहों तथा भूमि पोर्टों, सेज/इओयू, गैर-ईडीआई पोर्ट को छोड़कर, में प्रणाली आधारित निर्धारणों के कवरेज में वृद्धि करती है। वि.व. 17 में कुल आयात संव्यवहारों में से पिछले वर्ष में 20 प्रतिशत के प्रति विस्तृत निर्धारणों के लिए आरएमएस द्वारा 21 प्रतिशत को चिन्हित किया गया था (तालिका 1.10)। इसी प्रकार, वि.व. 17 में आरएमएस द्वारा विस्तृत निर्धारणों के लिए चिन्हित निर्यात संव्यवहार वि.व. 16 में 24 प्रतिशत के प्रति कुल संव्यवहारों का 30 प्रतिशत था।

तालिका 1.10 आरएमएस द्वारा चिन्हित संव्यवहार

आरएमएस द्वारा चिन्हित संव्यवहारों की संख्या	वि.व. 16	वि.व. 17
आयात	16,06,930 (20 %)	9,04,928 (21%)
निर्यात	23,81,803 (24 %)	17,81,457 (30%)
कुल संव्यवहार (आयात)	80,15,856	42,32,309
कुल संव्यवहार (निर्यात)	97,41,229	69,83,970

स्रोत: # विश्लेषण महानिदेशक एवं जोखिम प्रबंधन डिविजन, सीबीईसी

1.13.2 आंतरिक लेखापरीक्षा तथा जांच

महानिदेशक लेखापरीक्षा का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, इसकी अध्यक्षता महानिदेशक (लेखापरीक्षा) करता है, इसकी सात जोनल यूनिटें अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता तथा मुम्बई में है, प्रत्येक की अध्यक्षता उसके मंडल के अन्तर्गत अपर महानिदेशक द्वारा की जाती है। डीजीए की प्रत्येक जोनल यूनिट का मुख्य कमिश्नर तथा उनके अंतर्गत कमिश्नरियों की जोनल यूनिटों पर क्षेत्रवार नियंत्रणाधिकार दिए गए है।

1.13.3 डीजी (लेखापरीक्षा), सीबीईसी द्वारा तकनीकी लेखापरीक्षा

विभागीय लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन है जो अननुपालन तथा अक्षमता का पता लगाता है तथा कमियों के लिए उपचारात्मक कार्रवाई शुरू करता है। सीबीईसी ने वि.व. 16 और वि.व. 17 के लिए योजनाबध्य और आयोजित की गई तकनीकी लेखापरीक्षाओं पर कोई जानकारी प्रेषित नहीं की थी। इसलिए लेखापरीक्षा प्रभाविकता पर कथन करने में असमर्थ हैं।

1.13.4 ऑन साइट पोस्ट क्लीयरेंस ऑडिट (ओएसपीसीए)

सीबीईसी ने अधिसूचना सं. 72/2011-सीयूएस (एन.टी.) दिनांक 4-10-2011 के द्वारा आयतकों और निर्यातकों के परिसर पर 'ऑन साइट पोस्ट क्लीयरेंस ऑडिट (ओएसपीसीए)' अथवा ओएसपीसीए की योजना को लागू किया है।

ओएसपीसीए आयतक अथवा निर्यातक के परिसरों पर आयात संर्वधन योजनाओं के अन्तर्गत उन सभी आयत/निर्यात लेन-देन सहित की संविक्षा द्वारा आवधिक आधार पर स्वयं-निर्धारण के सत्यापन की अनुमति देता है। इस प्रकार, कोई आयातक या निर्यातक कम किय गये कलीयरंश समय से लाभ उठा सकता है और यथा समय सामान, बीमा पर बचत, गोदाम और भंडारण प्रभारों से निपट

सकते है। दूसरी तरफ सीमाशुल्क एक व्यापक कम्पनी केंद्रित जांच कर सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आयात अथवा निर्यात घोषणाओं के अनुरूप है। बोर्ड ने 1-10-2011 से केवल अधिकृत ग्राहक कार्यक्रम (एसीपी) के अन्तर्गत केवल पंजीकृत आयतकों के लिए ओएसपीसीए को परिचालित किया। 2016-17 में सीबीईसी ने एसीपी और एईओ को एक संयुक्त थ्री-टापर एईओ कार्यक्रम में मिला दिया (परिपत्र सं. 33/2016-सी-दिनांक 22 जूलाई 2016)।

प्राधिकृत अर्थव्यवस्था परिचालक (एईओ) कार्यक्रम का उद्देश्य उन संस्थाओं को अधिक लाभ प्रदान करना है जिन्होंने मजबूत आंतरिक प्रणाली का प्रदर्शन किया है और सी.बी.ई.सी. द्वारा नियंत्रित कानूनों का अनुपालन किया है। कार्यक्रम के तहत आयातक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार लेखापरीक्षा के अधीन होगा।

वि.व. 17 के दौरान ओएसपीसीए के अन्तर्गत लेखापरीक्षा के लिए केवल 17 प्रतिशत आयोजित इकाइयों का लेखापरीक्षण किया गया है। जिसके परिणामस्वरूप नगण्य मूल्य के ₹ 8.60 करोड़ की कुल कम उगाही का पता लगा जिसमें से ₹ 5.02 करोड़ की वसूली की गई थी। **(तालिका 1.11)**।

तालिका 1.11: ओएसपीसीए के अंतर्गत की गई लेखापरीक्षा

वि.व.	यूनिटों की सं. जिनकी लेखापरीक्षा की योजना बनाई गई थी	लेखापरीक्षा आयोजित	पता चला शुल्क ₹ करोड़ में	वसूला गया शुल्क ₹ करोड़ में
वि.व.16	330	80 (24 %)	3.73	3.51
वि.व.17	561	93 (17%)	8.60	5.02

स्रोत: महानिदेशक लेखापरीक्षा, सीमाशुल्क, केंदीय उत्पाद शुल्क तथा सेवाकर

1.13.5 कर अपवंचन तथा जब्ती

राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार शुल्क अपवंचन के मामलों की संख्या वि.व. 16 में 631 से बढ़कर वि.व. 17 में 667 हो गई थी तथा मूल्य ₹ 6,623 करोड़ से घटकर ₹ 1,422 करोड़ हो गया था **(अनुबंध 3)**। अपवंचन मामलों में शामिल मुख्य वस्तुएं, स्वर्ण (सोना), स्वर्ण आभूषण, रक्त चंदन, मादक पेय, कच्चा लोहा, मोबाईल एवं दवाईयां के उत्पादन मदें हैं।

1.13.6 आंतरिक लेखापरीक्षा अनियमितताएं

प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (प्र. सीसीए), सीबीईसी, सीबीईसी के विभिन्न भुगतान तथा लेखांकन कार्यों की लेखापरीक्षा करता है। यद्यपि आंतरिक लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का अभिन्न अंग है फिर भी प्र. सीसीए की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों में 338 आंतरिक लेखापरीक्षा पैरों को लंबित दर्शाया गया जिनका सकल मूल्य ₹ 57,121 करोड़[10] था।

प्र.सीसीए लेखापरीक्षा टिप्पणियों में वि.व. 17 तक स्थापना लेखापरीक्षा के बिंदुओं के अलावा निम्नलिखित अनियमिताओं को भी शामिल किया गया था:

क) सरकारी विभाग/राज्य सरकार निकायों/निजी पार्टियों/स्वायत निकायों से देयताओं की वसूली न करना; ₹ 47,556 करोड़;

ख) सरकारी निधि का अवरोधन; ₹ 1,144 करोड़।

1.14 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) की लेखापरीक्षा

सीमा शुल्क राजस्व की सीएजी की लेखापरीक्षा जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अंतर्गत करते है। अनुपालन लेखापरीक्षा दिशा निर्देश 2015, स्थायी आदेशों तथा लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमावली 2007 के प्रावधानों के अनुसार अनुपालन लेखापरीक्षा की जाती है। लेखापरीक्षा की व्यवस्था महानिदेशकों (डीजीज़)/प्रधान निदेशकों (पीडीज़) की अध्यक्षता में नौ क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से की जाती है।

1.14.1 अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

मौजूदा रिपोर्ट में ₹ 85 करोड़ के राजस्व प्रभाव के 99 पैराग्राफ है। इसमें सामान्यत: पांच प्रकार की अभ्युक्तियां अर्थात गलत वर्गीकरण; छूट अधिसूचना का गलत उपयोग; अधिसूचना की शर्त जो पूरी नहीं हुई; गलत प्रावधान की योजना आधारित छूट तथा सीमा शुल्क का गलत निर्धारण थी। विभाग/मंत्रालय ने परिशोधन कार्रवाई की है जिसमें कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा कारण बताओं नोटिसों के अधिनिर्णयन के रूप में 77 पैराग्राफों के

[10] प्र. सीसीए डी.ओ.सं.IA/एनजेड/एचक्यू/सीएजी/सूचना/2016-17/74 दिनांक 28 अगस्त 2017

मामले में ₹ 30 करोड़ का निधि मूल्य शामिल है तथा उन्होंने 50 मामलों में ₹ 19 करोड़ की वसूली की सूचना दी है।

1.14.2 सूचना/अभिलेखों तक एक्सेस

राजस्व विभाग, सीबीईसी, वाणिज्य विभाग तथा उनकी क्षेत्रीय संरचनाओं में मूल अभिलेखों/दस्तावेजों की जांच के साथ आईसीईएस 1.5 की सिंगल साइन ऑन (एस एस ओ आई डी)[11] आधारित एक्सेस का उपयोग किया गया था। अन्य पणधारक रिपोर्टों के साथ सीबीईसी के एमआईएस, एमटीआरज का उपयोग किया गया था। इसके अलावा, डीजीएफटी (ईडीआई) डाटा, सेज ऑनलाइन डाटा डीओसी, सीमा शुल्क के वार्षिक आयात/निर्यात डाटा (सीबीईसी) संघ वित्त लेखा, एक्सिम डाटा, डीओसी का भी प्रयोग किया गया था।

व्यापक लेखापरीक्षा योजना के लिए जोखिम निर्धारण के लिए और सीमाशुल्क लेन-देन का बृहत विश्लेषण 2012-13 से संभव नहीं हुआ क्योंकि डाटा निदेशिका के अनुसार आयातों तथा निर्यातों के लिए आईसीईएस 1.5 के संव्यवहार स्तर डाटा को महानिदेशक (प्रणाली) सीबीईसी द्वारा कई अनुस्मारकों और कई बैठको लेखापरीक्षा तथा बोर्ड के मध्य, उच्चस्तरीय सहित के बावजूद उपलब्ध नहीं करवाया गया। आईसीईएस का सीआरए मौड्यूल, संव्यवहार डाटा के मैक्रो विश्लेषण के लिए लेखापरीक्षा की डाटा की आवश्यकताओ का ध्यान नहीं रखता।

1.14.3 सीएजी की लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया, लेखापरीक्षा रिपोर्टों का राजस्व प्रभाव/फोलो-अप

पिछली पांच लेखापरीक्षा रिपोर्टों (वर्तमान वर्ष की रिपोर्ट सहित) में हमने 17 लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल किए थे (तालिका 1.12) जिसमें ₹ 65.70 करोड़ शामिल हैं। सरकार ने ₹ 275 करोड़ मूल्य के 495 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा 334 पैराग्राफों में ₹ 105 करोड़ की वसूली की।

[11] एस एस ओ आई डी कस्टम ई डी आई प्रणाली के लिए व्यक्तिगत सुरक्षित लॉग इन प्रोटोकाल है।

तालिका 1.12: लेखापरीक्षा रिपोर्टों का फोलो-अप

₹ करोड़

वर्ष	शामिल पैराग्राफ		स्वीकृत पैराग्राफ		प्रभावी वसूलियां	
	सं.	राशि (₹ करोड़)	सं.	राशि (₹ करोड़)	सं.	राशि (₹ करोड़)
वि.व.13	139	1,832	120	95	85	31
वि.व.14	154	2,428	137	46	78	17
वि.व.15	122	1,162	91	85	67	23
वि.व.16	103	1,063	70	19	54	15
वि.व.17	99	85	77	30	50	19
कुल	**617**	**6,570**	**495**	**275**	**334**	**105**

स्रोत: संबंधित वर्षों की सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टें